सं0सं0 9/विविध–13–67/2016/ 271(9)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 2607 दिनांक– 02/11/2016 एवं 2608 दिनांक 02/11/2016 द्वारा जिले के विभिन्न चिकित्सा पदाधिकारियों का किये गये अनियमित स्थानान्तरण को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है ।

असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य चिकित्सा पदाधकारी के कार्यालय आदेश ज्ञापांक– 2607 दिनांक– 02/11/2016 एवं 2608 दिनांक 02/11/2016 द्वारा स्थानान्तरित सभी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर बने रहेंगे ।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक : 271(9) /स्वा0, पटना, दिनांक 02/03/2017

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–2,3/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02.3.17

सरकार के अवर सचिव